प्रेषक,

गोविन्द राजू एन0एस0,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 2015**

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कनवर्जेन्स के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्र के निर्माण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मनरेगा योजनान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र के निर्माण के लिए वर्क आईडी जनरेट करने, मस्टर रोल निर्गत करने एवं कार्य के उपरांत मनरेगा अंश का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित से किसी एक संस्था को पीआईए(प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी) के रूप में नामित करने हेतु जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक को एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है:-

क- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत)

ख- लोक निर्माण विभाग।

ग- ग्रामीण अभियंत्रण सेवा।

2- जनपद स्तर पर आंगनबाडी केन्द्र के निर्माण हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस) द्वारा लाइन विभाग के रूप में कार्य करते हुए मनरेगा कनवर्जेन्स के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण की कार्ययोजना प्रस्तुत की जायेगी तथा कार्ययोजना स्वीकृत कराने, प्रशासनिक , वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति निर्गत कराने इत्यादि से संबंधित कार्यवाही एवं परियोजना के पूर्ण होने तक इसके अनुश्रवण का दायित्व बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस) को होगा।

कृपया तदनुसार मनरेगा योजनान्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र के निर्माण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(गोविन्द राजू एन0एस0)
विशेष सचिव।

संख्या- 7/2015/325 (1)/अड़तीस-7-2015 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार , कृषि भवन, नई दिल्ली ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, लाइन विभाग।
3. प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार ।
4. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (आईसीडीएस), उ0प्र0।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।